डिजिटल नागरिकता प्रमाणपत्र: अब हार्ड कॉपी सिर्फ मांगने पर

समाचार-संदर्भ: 27 नवंबर 2026

प्रकाशन: 28 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II, नागरिकता, शासन और ई-गवर्नेंस



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

▼ इस लेख में

1. खबरों में क्यों
2. क्या बदला: नियम 14 और नियम 15
3. किन पर लागू: धारा 5 और धारा 6
4. पृष्ठभूमि: नागरिकता के पांच स्रोत
5. महत्व: परीक्षा की नजर से
6. आगे की राह
7. प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
8. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
9. सामान्य प्रश्न (FAQ)
10. स्रोत

खबरों में क्यों

गृह मंत्रालय ने 26 नवंबर 2026 को अधिसूचना **सा.का.नि. 1007(अ)** जारी कर **नागरिकता (चौथा संशोधन) नियम, 2026** बनाए। ये नियम 27 नवंबर 2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i)) में प्रकाशित हुए और उसी दिन लागू हो गए। इन नियमों ने नागरिकता नियम, 2009 में बदलाव कर दिया है: अब **पंजीकरण (registration)** या **देशीकरण (naturalisation)** के रास्ते भारत का नागरिक बनने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता का **डिजिटल प्रमाणपत्र** जारी किया जाएगा। प्रमाणपत्र की **हार्ड कॉपी (छपी प्रति) केवल आवेदक के अनुरोध पर** ही दी जाएगी।

एक बात स्पष्ट रहे: यह बदलाव **नए नागरिक बनने वालों** पर लागू होता है। जो पहले से भारतीय नागरिक हैं, उनकी स्थिति या दस्तावेज़ों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।

क्या बदला: नियम 14 और नियम 15

नागरिकता नियम, 2009 (मूल नियम सा.का.नि. 124(अ), 25 फरवरी 2009) में यह बदलाव किया गया है:

पंजीकरण का प्रमाणपत्र (नियम 14):

- **धारा 5(1) के खंड (a), (c), (d), (e) या (f)** के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को **प्रपत्र X (Form X)** में पंजीकरण का डिजिटल प्रमाणपत्र जारी होगा।
- **धारा 5(1) के खंड (g)** (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक) के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले व्यक्ति को **प्रपत्र XI (Form XI)** में डिजिटल प्रमाणपत्र मिलेगा।

देशीकरण का प्रमाणपत्र (नियम 15):

- **धारा 6(1)** के अंतर्गत देशीकरण से नागरिक बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को **प्रपत्र XII (Form XII)** में देशीकरण का डिजिटल प्रमाणपत्र जारी होगा।

हस्ताक्षर का स्तर: हर डिजिटल प्रमाणपत्र **भारत सरकार के अवर सचिव (Under Secretary) के पद से नीचे न होने वाले अधिकारी** द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या हस्ताक्षरित होगा, या ऐसा अधिकारी जिसे केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिकृत किया हो।

हार्ड कॉपी की व्यवस्था: नियम 14 के उप-नियम (2B) और नियम 15 के उप-नियम (1B) के स्थान पर नया प्रावधान आया है कि पंजीकरण या देशीकरण के प्रमाणपत्र की **हार्ड कॉपी आवेदक के अनुरोध पर** जारी की जाएगी। यानी छपी प्रति बंद नहीं हुई, बस वह अब अपने-आप नहीं, मांगने पर मिलेगी।

ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की **धारा 18** द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए हैं। इससे पहले नागरिकता नियम, 2009 में आखिरी संशोधन **सा.का.नि. 742(अ), 19 अगस्त 2026** द्वारा हुआ था।

किन पर लागू: धारा 5 और धारा 6

नागरिकता अधिनियम, 1955 की **धारा 5(1)** के खंड, जिन पर यह नियम लागू होता है:

- **खंड (a):** भारतीय मूल का व्यक्ति, जो आवेदन से पहले सात वर्ष तक भारत में सामान्य निवासी (ordinarily resident) रहा हो।
- **खंड (c):** भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, जो आवेदन से पहले सात वर्ष तक भारत में सामान्य निवासी रहा हो।
- **खंड (d):** भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे।
- **खंड (e):** पूर्ण आयु और सक्षमता का व्यक्ति, जिसके माता-पिता खंड (a) या धारा 6(1) के अंतर्गत पंजीकृत नागरिक हैं।
- **खंड (f):** पूर्ण आयु का व्यक्ति जो स्वयं या जिसका कोई एक माता-पिता स्वतंत्र भारत का नागरिक रह चुका हो, तथा आवेदन से ठीक पहले बारह माह भारत में सामान्य निवासी रहा हो।
- **खंड (g):** पूर्ण आयु का व्यक्ति जो **पांच वर्ष से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक** के रूप में पंजीकृत हो और आवेदन से पहले बारह माह भारत में सामान्य निवासी रहा हो।

देशीकरण (धारा 6): पूर्ण आयु और सक्षमता का ऐसा व्यक्ति, जो अवैध प्रवासी नहीं है, तृतीय अनुसूची की अर्हताएँ पूरी करने पर इस मार्ग से आवेदन कर सकता है। सामान्य नियम में आवेदन से ठीक पहले के बारह महीने तथा उससे पहले के चौदह वर्षों में कुल कम से कम ग्यारह वर्ष भारत में निवास या भारत में किसी सरकार की सेवा शामिल है। सुशील चरित्र और आठवीं अनुसूची की किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान भी आवश्यक है। अधिनियम में विशेष श्रेणियों, निवास-अवधि और विशिष्ट परिस्थितियों के

लिए अपवाद व छूट हैं; इसलिए 11 वर्ष की अवधि हर मामले पर लागू नहीं होती।

पृष्ठभूमि: नागरिकता के पांच स्रोत

संविधान के **अनुच्छेद 5 से 11** नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान करते हैं, और **अनुच्छेद 11** संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी के तहत बना **नागरिकता अधिनियम, 1955** नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीके बताता है:

1. **जन्म से** (धारा 3)
2. **वंशानुक्रम से** (धारा 4)
3. **पंजीकरण से** (धारा 5)
4. **देशीकरण से** (धारा 6)
5. **भूभाग के सम्मिलन से** (धारा 7)

यह संशोधन मुख्यतः नियम 14 और 15 के अंतर्गत पंजीकरण तथा देशीकरण के प्रमाणपत्रों की डिजिटल व्यवस्था को बदलता है। इसे सभी मौजूदा भारतीय नागरिकों के लिए नया दस्तावेज़ बनवाने की आवश्यकता न समझें। धारा 6B के अंतर्गत पात्र आवेदकों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र की व्यवस्था पहले से थी; नया संशोधन हार्ड कॉपी के प्रावधान में भी संबंधित उप-नियमों को शामिल करता है।

महत्व: परीक्षा की नजर से

- **शासकीय प्रक्रिया का डिजिटलीकरण:** डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र ऑनलाइन संग्रहीत और साझा करना आसान हो सकता है; कागज़ी प्रति पर निर्भरता घटने की संभावना है। यह ई-गवर्नेंस और 'डिजिटल इंडिया' की दिशा का कदम है।
- **अवर सचिव स्तर की हस्ताक्षर-शक्ति:** प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का न्यूनतम स्तर तय करना प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है।
- **परीक्षा-संबंधी बिंदु:** नियम का नाम, अधिसूचना संख्या, धारा 18, नियम 14/15, प्रपत्र X/XI/XII, धारा 5 के खंड और तृतीय अनुसूची की निवास-शर्तें, ये सभी प्रिलिम्स में सीधे पूछे जा सकने वाले तथ्य हैं। मुख्य परीक्षा में नागरिकता कानून और ई-गवर्नेंस पर प्रश्न बन सकते हैं।

आगे की राह

डिजिटल प्रमाणपत्र व्यवस्था की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा कितनी सुगम होती है और हार्ड कॉपी चाहने वालों को छपी प्रति कितनी जल्दी मिलती है। आगामी दिनों में यह देखना होगा कि प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किन मंचों से जुड़ता है और आवेदकों को व्यावहारिक रूप से क्या सुविधा मिलती है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. नागरिकता (चौथा संशोधन) नियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 के अधीन बनाए गए हैं

कथन 2: इन नियमों के अंतर्गत पंजीकरण से नागरिक बनने वाले व्यक्ति को प्रपत्र X या प्रपत्र XI में डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा

कथन 3: प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी अब किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जाएगी

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल 1 और 2

कथन 1 सही है: नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए (अधिसूचना सा.का.नि. 1007(अ))

कथन 2 सही है: धारा 5(1) के खंड (a), (c), (d), (e), (f) के लिए प्रपत्र X और खंड (g) के लिए प्रपत्र XI में डिजिटल प्रमाणपत्र जारी होगा

कथन 3 गलत है: हार्ड कॉपी बंद नहीं हुई; आवेदक के अनुरोध पर जारी की जाएगी

प्रश्न 2. नागरिकता (चौथा संशोधन) नियम, 2026 के अंतर्गत जारी डिजिटल नागरिकता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) प्रमाणपत्र पर ज़िला कलेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं

(b) प्रमाणपत्र भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे न होने वाले अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या हस्ताक्षरित होगा

(c) प्रमाणपत्र पर केवल गृह सचिव के हस्ताक्षर होते हैं

(d) प्रमाणपत्र पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक डिजिटल प्रमाणपत्र "भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे न होने वाले अधिकारी या इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी" द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या हस्ताक्षरित होगा। अन्य विकल्प अधिसूचना के प्रावधान से मेल नहीं खाते

प्रश्न 3. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत देशीकरण (naturalisation) की सामान्य निवास-शर्तों (वैधानिक अपवादों को छोड़कर) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: आवेदक को आवेदन की तारीख से ठीक पहले के बारह महीनों में भारत में निवास या भारत सरकार की सेवा करनी होती है

कथन 2: उन बारह महीनों से पहले के चौदह वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम नौ वर्ष का निवास अनिवार्य है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) केवल 1

कथन 1 सही है: तृतीय अनुसूची की शर्त (c) के अनुसार आवेदन से ठीक पहले के बारह महीने निवास या सेवा अनिवार्य है

कथन 2 गलत है: तृतीय अनुसूची की शर्त (d) के अनुसार चौदह वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम ग्यारह वर्ष चाहिए, नौ नहीं

PCSMANTRA.COM

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. नागरिकता प्रमाणपत्रों के डिजिटलीकरण को ई-गवर्नेंस की दिशा में एक सार्थक कदम के रूप में परखिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

- नागरिकता (चौथा संशोधन) नियम, 2026 (सा.का.नि. 1007(अ), 26 नवंबर 2026) से पंजीकरण और देशीकरण के प्रमाणपत्र डिजिटल-प्रथम हुए; हार्ड कॉपी अनुरोध पर

मुख्य भाग में:

- लाभ: त्वरित जारीकरण, ऑनलाइन सत्यापन, दस्तावेज़ खोने का जोखिम कम, प्रशासनिक लागत में कटौती
- विश्वसनीयता: अवर सचिव स्तर से नीचे न होने वाले अधिकारी के डिजिटल/साधारण हस्ताक्षर अनिवार्य
- समावेशन: हार्ड कॉपी का विकल्प बना रहना डिजिटल विभाजन के विरुद्ध सुरक्षा-कवच
- सीमाएँ/चुनौतियाँ: सत्यापन-मंच की विश्वसनीयता, साइबर सुरक्षा, दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच

निष्कर्ष में:

- प्रमाणपत्र-शृंखला का डिजिटलीकरण 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के अनुरूप; सफलता सुगम सत्यापन और आवेदक-सुविधा पर निर्भर

प्रश्न 2. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने के कौन-से मार्ग उपलब्ध कराता है? पंजीकरण और देशीकरण मार्गों की प्रमुख शर्तों की विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

- संविधान के अनुच्छेद 5-11 के बाद अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955

मुख्य भाग में:

- पांच मार्ग: जन्म (धारा 3), वंशानुक्रम (धारा 4), पंजीकरण (धारा 5), देशीकरण (धारा 6), भूभाग सम्मिलन (धारा 7)
- पंजीकरण: धारा 5(1) के खंड (a) से (g) — भारतीय मूल, भारतीय नागरिक से विवाह, नाबालिग बच्चे, पंजीकृत नागरिकों की संतान, पूर्व नागरिक, OCI कार्डधारक (5 वर्ष + 12 माह निवास)
- देशीकरण: तृतीय अनुसूची — सामान्य नियम में 12 माह + पिछले 14 वर्षों में कुल 11 वर्ष का निवास या भारत में किसी सरकार की सेवा; वैधानिक अपवाद व छूट अलग, सुशील चरित्र, आठवीं अनुसूची की भाषा का ज्ञान

निष्कर्ष में:

- आवेदन-आधारित मार्गों की प्रक्रिया समय के साथ सरल हुई; डिजिटल प्रमाणपत्र इसी निरंतरता का नवीन चरण

सामान्य प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: क्या मौजूदा भारतीय नागरिकों को नया डिजिटल प्रमाणपत्र लेना होगा? उत्तर: नहीं। नया नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो पंजीकरण या देशीकरण के रास्ते नए नागरिक बनते हैं। मौजूदा नागरिकों की स्थिति और दस्तावेज़ों पर कोई असर नहीं।

प्रश्न: क्या नागरिकता प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी पूरी तरह बंद हो गई है? उत्तर: नहीं। नियम के अनुसार आवेदक अनुरोध करने पर प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी जारी की जाएगी। बस अब डिजिटल प्रमाणपत्र ही डिफ़ॉल्ट (स्वतः) रूप है।

प्रश्न: OCI कार्डधारक के लिए क्या बदला? उत्तर: धारा 5(1)(g) के तहत पांच वर्ष का OCI कार्ड और बारह माह का निवास पूरा करके पंजीकृत होने वाले व्यक्ति को अब प्रपत्र XI में डिजिटल पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा।

स्रोत

- Gazette of India: G.S.R. 1007(E)
- Citizenship Act, 1955: Sections 5, 6, 18 and Third Schedule
- Indian Citizenship Online: Section 6B digital-certificate process

OCI और नागरिकता में अंतर के लिए पढ़ें: **OCI और दोहरी नागरिकता की बहस**

PCSMANTRA.COM